आर ओ यू का मुद्दा

देश में उत्पादित पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाने की गतिविधि के लिए ऐसी पाइप लाइनों को बिछाने के लिए लिए किसी भी भूखंड पर उपयोगकर्ता के अधिकार (आर ओ यू) से संबंधित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होती है । आर ओ यू को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइनों (उपयोगकर्ता के अंतर्देशीय अधिकार का अर्जन) अधिनियम,1962 की धारा 3 (1) के तहत पेट्रोलियम प्रचालनों का परिचालन हेतु प्रदान किया जाता है ।